

13-2-2020

पत्रावली पेश हुई । वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं ।
उन्हे रूक-रूक कर बार बार आवाजे लगवाई गई । वे
उपस्थित नहीं आये । ना ही अनुपस्थिती का कोई कारण
हमारे समक्ष पेश हुआ । अतः अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3
जाब्ता दिवानी के तहत वादी का यह वाद पत्र अदम
हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील
दाखिल दफतर की जावे । बसरे इजलाश सुनाया गया ।



(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी
नोरखोखी कानेर

